

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत  
पत्रांक 1213 /14-1, पीलीभीत, दिनांक- 23/12/2021  
(बनकटी रोड, पीलीभीत- 262001)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

**विषय :-** कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग सं०-62 पी०ए०के चैनैज 14.346 से 14.381 वॉयी पटरी पर ग्राम-चरखौला तहसील-बीसलपुर, जिला- पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा सं०-568 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० के गैर वानिकी प्रयोग व 1 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या-PF/UP/Others/31275/2018)

**सन्दर्भ :-** आपके कार्यालय का पत्रांक- 190/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/अन्य/30687/2017, दिनांक- 15.07.2021 प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक 2072/15-1 दिनांक- 23.12.2021

महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत ने अपने कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार कर दिया गया है।

अतः प्रस्ताव पुनः 03 मूल प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

Observe No.	Conditions	Status of Compliance
01	प्रस्ताव के साथ दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार संलग्न नहीं की गयी है। अतः भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार व्याज सहित गणना संलग्न करें।	प्रस्ताव के साथ दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार व्याज सहित गणना संलग्न है।
02	प्रभागीय निदेशक द्वारा एच-2 केस निर्गत किया गया है किन्तु Compounding सम्बन्धी आदेश की सत्यापित प्रति एवं सत्यापित रसीद प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। अतः सत्यापित Compounding सम्बन्धी आदेश की प्रति एवं सत्यापित रसीद प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रभागीय निदेशक द्वारा एच-2 केस निर्गत किया गया है जिसके Compounding सम्बन्धी आदेश की सत्यापित प्रति एवं सत्यापित रसीद संलग्न है।
03	विषयगत प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है।	विषयगत प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही संलग्न है।
04	प्रस्ताव में संलग्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैधता दिनांक 30.09.2019 से समाप्त हो चुकी है। अतः बढी हुई वैधता का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक- 31.03.2022 तक बढी हुई वैधता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

  
(जावेद अख्तर) 23/12/21

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर  
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।